केन्द्रीय सरकार के अधीन कैशियरों/पार्लियामेंट असिस्टेंटों के पद

569. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने 24 दिसम्बर, 1963 को विभिन्न मन्त्रालयों को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/31/63-सी०एस(ए) भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उन मन्त्रालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त ज्ञापन के अनुसरण में वहां तीन वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले कर्मचारियों का तबादला कर दिया और जिनके स्थान पर अन्य कर्मचारी रखे गये ;

(ग) मन्त्रालयवार ऐसे कितने पद हैं जिन पर यही व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न मन्त्रालयों को यह आदेश देने का है कि वे उक्त ज्ञापन में दी गई हिदायतों का सख्ती से पालन करें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). उक्त ज्ञापन एक सलाह के तौर पर था और यह बात प्रशासकीय मन्त्रालयों के स्वविवेक पर छोड दी गई थी कि वे समय-समय पर कोषाध्यक्ष, संसद्-सहायक पदों पर काम करने की अवधि को कार्य की दक्षता को ध्यान में रखते हुए बदल दें । तदनुसार ऐसे मामलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे गये जिनमें तबादले किये गये या किये जाने हैं । ये पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक वर्ग में शामिल हैं । जिनका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है । अतः उन पर सम्बन्धित कैडर अधिकारियों अर्थात् सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग का नियन्त्रण है ।

स्वायत्तशासी संस्थाओं, आयोगों तथा समितियों द्वारा नियुक्त किये गये सेवा-निवृत्त अधिकारी

570. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 और 1966-67 में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, आयोगों तथा समितियों में कितने सेवा-निवृत्त राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जनता से हिन्दी में प्राप्त आवेदनपत्रों का निपटारा

571. **श्री राम चरण** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में अंग्रेजी में जनता से प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है परन्तु हिन्दी में प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा सुझावों की उपेक्षा की जाती है और उनका उत्तर काफी समय के बाद भेजा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अंग्रेजी में प्राप्त हुए आवेदन-पत्र का उत्तर कितने दिन में दिया जाता है तथा हिन्दी में प्राप्त हुए आवेदन-पत्र आदि का उत्तर देने में कितने दिन लगाए जाते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभी प्रकार के आवेदन-पत्रों का उत्तर देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है । सामान्यतया अंग्रेजी और हिन्दी के एक जैसे आवेदन-पत्रों के उत्तर देने में लगभग समान समय लगता है ।